BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 115 OF 2025

IN THE MATTER OF:
NITIN SRIVASTAVA …..APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. …….RESPONDENT(s)

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 30.01.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE INSPECTION REPORT DT. 08.01.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	
3.	COPY OF THE LETTER DT. 17.07.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2	
4.	COPY OF THE PHOTOGRAPHS ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3	
5.	COPY OF THE LETTERS DT. 24.07.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4	
6.	COPY OF THE REPRESENTATION ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-5	

7.	**COPY OF THE INSPECTION REPORT DT. 22.08.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-6**	
8.	**COPY OF THE LETTER DT. 20.04.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-7**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR STATE OF U.P.
Bhanwar09jadon09@gmail.com| 9639286572

Date: 20.04.2026

Place: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 115 OF 2025

IN THE MATTER OF:
NITIN SRIVASTAVA ......**APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. ....**RESPONDENT(s)**

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 30.01.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, Shitanshu Pandey aged about 37 years S/o Mr. Sachchidanand pandey, presently posted as Divisional Forest Officer, Lucknow, Uttar pardesh, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the deponent in official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

SWORN VERIFIED
BEFORE ME
Kartikay Kumar Singh
Advocate
NOTARY
Lucknow (U.P.) INDIA
Date 18/1/2026

2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. <u>ALLEGATIONS MADE IN THE ORIGINAL APPLICATION</u>

3. That in the present matter, the Applicant has alleged that trees standing on land marked as green belt by the Lucknow Development Authority were illegally cut by the Netaji Subhash Chandra Bose Girls Degree College, Lucknow, located at the Regional Science Centre, Sector-D, Aliganj, Lucknow for construction purposes. That approximately 400 trees were felled, their stumps uprooted, and the land levelled. That the Applicant has also stated that a representation dated 05.01.2025 was submitted to the department and that despite complaints to Respondent Nos. 2 and 4, no action was taken.

4. That it is submitted that no representation dated 05.01.2025 was received by the department. That on **08.01.2025,** upon receiving oral compliant regarding alleged illegal felling in the Degree College premises, a site inspection was conducted by the concerned forest guard on the same date. However, **no illegal felling was found, nor were any tree stumps observed at the site.**

A Copy of the inspection report dt. 08.01.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

5. That the Hon'ble Tribunal vide order dt. 26.03.2025 issued notice and directed the Deponent to file the reply.

II. INSPECTION ON 17.07.2025

6. That in compliance of the aforesaid order, the Deponent vide letter dt. 17.07.2025 directed the Regional Forest Officer, Urban Range, to submit a report and reply in the matter. Accordingly, vide letter dated 17.07.2025, the following report was submitted that a joint inspection was conducted by a team comprising Shri Ankit Shukla, Deputy Regional Forest Officer, and Shri Ramdheeraj Yadav, Forester on 17.07.2025. Their report also confirmed that no evidence of illegal felling was found at the site; only naturally grown bushes had been cleared. It was further reported that the land belongs to the Lucknow Development Authority and no complaint regarding illegal felling has been lodged by it.

   A Copy of the letter dt. 17.07.2025 annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**

   A Copy of the Inspection report and photographs have been annexed herewith as **ANNEXURE R-3.**

III. DIRECTION BY DEPONENT FOR JOINT INSPECTION IN PRESENCE OF THE APPLICANT

7. That thereafter, the Divisional Forest Officer, Awadh Forest Division, Lucknow, issued a letter dated 24.07.2025 to the Applicant, Nitin

Srivastava (resident of Plot No. 6, Gata No. 201/16, Rasoolpur Kayastha, Jankipuram Extension, Tiny Tots School, Lucknow, Uttar Pradesh; Mobile No. 9415552949), directing him to be present at the site on 05.08.2025 at 11:00 AM along with evidence and relevant records for a joint inspection by the Sub-Divisional Forest Officer, Mohanlalganj, and the Regional Forest Officer, Urban Range. That vide letter dt. 24.07.2025, instructions were also issued to the Sub-Divisional Forest Officer, Mohanlalganj, and the Regional Forest Officer, Urban Range, to contact the petitioner and conduct a joint inspection on 05.08.2025 and submit a report.

Copies of the letters dt. 24.07.2025 have been annexed herewith as **ANNEXURE R-4.**

8. That the Applicant, Nitin Srivastava, submitted his representation addressed to the Divisional Forest Officer, Awadh Forest Division, Lucknow, along with four annexures, through registered post on 07.08.2025. It was stated that he had appeared at the site on 05.08.2025 with evidence and relevant documents. The representation was received in in the Deponent's office on 11.08.2025.

A Copy of the representation has been annexed herewith as **ANNEXURE R-5.**

9. That the Applicant stated, inter alia, that all evidence and documents were already available in the OA and had also been sent via registered post (No. RU267432581N) on 01.07.2025. The annexures include photographs allegedly showing tree cutting and illegal construction using bulldozers and labour. That Annexure B of the OA contains a copy of the freehold deed executed by the Lucknow Development Authority for Plot No. SP-22, Sector-C, Aliganj Scheme, which shows the northern boundary as a green belt. The attached map also indicates the green belt on the northern side. The petitioner contends that the green belt land cannot be used for construction or tree cutting, citing orders of the Hon'ble National Green Tribunal and the Hon'ble Supreme Court in *Lal Bahadur vs. State of Uttar Pradesh*. He further alleges that the college authorities cut hundreds of trees, including protected species such as Sheesham, Teak, Khair, Jamun, Mango, Neem, Sal, Peepal, Banyan, Arjun, Palash, Bel, Tamarind, etc., and levelled the land to conceal evidence. He requested strict action to protect the environment.

IV. FINDINGS OF THE JOINT INSPECTION CONDUCTED ON 05.08.2025

10. That further a joint inspection was conducted on 05.08.2025 by the Sub-Divisional Forest Officer, Mohanlalganj, along with the Applicant. The

report was submitted vide letter dated 02.01.2026. That the said report states as follows:

- A joint inspection team was constituted comprising the Sub-Divisional Forest Officer, Mohanlalganj; Shri Sanjay Mishra, Regional Forest Officer, Urban Range; Shri Ankit Shukla, Deputy Regional Forest Officer; and Shri Yogesh Kumar, Forest Guard. The Applicant was given an opportunity to be present and present evidence. He produced certain photographs claiming illegal felling. However, the photographs did not conclusively establish that they pertained to the disputed site, as they lacked identifiable geographical markers or time/record references.
- That a detailed and systematic inspection of the site was conducted, examining trees, shrubs, vegetation, soil condition, stumps, wood residues, or any signs of past or present illegal felling. No evidence of illegal felling—either recent or old—was found. It was noted that if any such activity had occurred, physical evidence such as stumps, root remains, soil disturbance, or wood debris would have been present, but none was found.
- Additionally, inquiries were made with the officials and staff of the nearby Subhash Chandra Bose Degree College, who unanimously stated that no illegal tree felling or violation of forest laws had taken place at the site. Their statements were consistent with the inspection findings.

- Upon evaluation of all records, site inspection, evidence presented by the Applicant, and local inquiries, it was concluded that the allegations of illegal tree felling are factually incorrect and unsubstantiated. Accordingly, the detailed report has been submitted to the Deponent.

  A Copy of the inspection report dt. 22.08.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-6.**

11. That it is pertinent to submit that the Divisional Forest Officer, Awadh Forest Division, Lucknow has written a letter dated 20.04.2026 to the Lucknow Development Authority (LDA). That the said letter inter alia states that with respect to plots SP-1 to SP-24 in Sector-C, Aliganj Scheme, the Lucknow Development Authority, while allotting the said plots and executing the freehold deeds, has depicted the northern side as a green belt in the boundary description and layout plan. That the letter further states that the applicant has alleged that the trees standing on the land so marked as green belt were illegally felled by the Degree College for the purposes of construction, and approximately 400 trees were cut and their stumps uprooted. In this regard, the Lucknow Development Authority has been requested to provide the layout plan of the green belt within the Degree College area along with details of the number and species-wise plantation carried out, so as to enable submission of an appropriate further report before the Hon'ble Tribunal.

A Copy of the letter dt. 20.04.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-7.**

12. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon’ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at ....Lucknow.............. on this 20th day of April, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 11 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

SWORN VERIFIED
BEFORE ME
Kartikay Kumar Singh
Advocate
NOTARY
Lucknow (U.P.) INDIA
Date 18/4/26

I know and identify the deponent
who has signed/put his T.I. before me.

संलग्नक – 01

ANNEXURE R-1

सेवा मे,

श्रीमान क्षेत्रीय वनाधिकारी शहरी रेंज
अवध वन प्रभाग लखनऊ

विषय- नेताजी सुभाष चन्द्र बोस गर्ल्स डिग्री कालेज सेक्टर D अलीगंज लखनऊ के परिसर मे प्राप्त अवैध पातन की सूचना के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम मे अवगत कराना है कि लो० अ० द्वारा प्राप्त अवैध पातन की सूचना के आधार पर मै नेताजी सुभाष चन्द्र बोस गर्ल्स डिग्री कालेज पहुंचा तो मौके पर स्थलीय निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया मौके पर जॉच पड़ताल करने पर पाया कि उक्त परिसर मे कोई भी अवैध पातन अथवा ठूंठ प्रकाश मे नही आया। मौके पर परिसर के किनारे किनारे बाउन्ड्री वाल (दीवाल) का निर्माण किया जा रहा है। जानकारी करने पर पता चला कि उक्त स्थल पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का स्वामित्व है और उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक 8-1-2025

प्रार्थी
(विजय कुमार)
वन रक्षक अलीगंज
शहरी रेंज लखनऊ

NOTARY
Kartikay Kumar Singh
Regd No 31...
Lucknow
GOVT. OF U.P.

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक-01(i)

सेवा मे,

क्षेत्रीय वनाधिकारी
शहरी रेंज, लखनऊ

विषय:- नेताजी सुभाषचन्द्र बोस गर्ल्स डिग्री कालेज मे प्राप्त अवैध कटान की शिकायत के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कथन से अवगत कराना है कि शिकायत प्राप्त हुई कि नेता जी सुभाष चन्द्र बोस गर्ल्स डिग्री कालेज मे अवैध पातन हुआ है। जिसपर कार्यवाही करने हेतु श्री विनय कुमार बीट प्रभारी अलीगंज को मौके पर जाँच हेतु भेजा गया। बीट प्रभारी द्वारा अवगत कराया गया कि मौके पर किसी प्रकार का अवैध पातन या ठूठ मौके पर नहीं मिला। उक्त स्थल पर पुनः संयुक्त रूप से श्री राम वीरेन्द्र यादव व.द. के साथ ~~[illegible]~~ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमे अवैध कटान का कोई भी साक्ष्य मौके पर नहीं मिला। किन्तु स्थल उगी झाड़ियो को साफ कराया गया व कालेज प्रशासन द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर स्वामित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण का स्वामित्व है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त स्थल पर अवैध पातन के सम्बन्ध मे कोई भी शिकायत दर्ज नही कराई गयी।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(राम वीर यादव)
व.दा.

(अंकित शुक्ला)
सं.अ.
अलीगंज

NOTARY
Kartikay Kumar Singh
Regd. No. 31 ...
... U.P.

Scanned ...

ANNEXURE R-2

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी रेंज, अवध वन प्रभाग, लखनऊ |

पत्रांक 44/35-1 दिनाँक: जुलाई , 17 , 2025

सेवा में,

प्रभागीय वन अधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ |

द्वारा: उप प्रभागीय वन अधिकारी, मोहनलालगंज।

विषय:- रिट याचिका Pil No. 188/2025(115/2025) नितिन श्रीवास्तव बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में आख्या उपलब्ध करने के सम्बंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 405/35-3 दिनांक 17 जुलाई 2025।

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि

1. मौखिक शिकायत के क्रम में श्री विनय कुमार, बीट प्रभारी, अलीगंज द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया था, उनकी आख्या के अनुसार मौके पर अवैध पातन नहीं पाया गया।(आख्या संलग्न)
2. उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में पुनः एक संयुक्त टीम जिसमें श्री अंकित शुक्ला, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी व श्री रामधीरज यादव, वनविद द्वारा पुनः संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने भी अपनी जाँच आख्या द्वारा अवगत कराया कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान मौके पर अवैध पातन का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, कुछ स्वतः उगी झाड़ियों को साफ़ किया गया है। जाँच टीम द्वारा यह भी अवगत कराया गया की उक्त स्थल पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का स्वामित्व है तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त स्थल पर अवैध पातन की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।(जाँच आख्या व फोटोग्राफ्स संलग्न)

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:

1. श्री अंकित शुक्ला, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी व श्री राम धीरज यादव, वनविद की संयुक्त जाँच आख्या।
2. श्री विनय कुमार, वनरक्षक की जाँच आख्या।

भवदीय

क्षेत्रीय वन अधिकारी
शहरी रेंज

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE R-3

20 Apr 2026 6:44:11 pm
26°53'24.804"N 80°56'19.05"E
196° S
Chandralok
Lucknow Division
Uttar Pradesh
Altitude:63.0msnm
Speed:0.0km/h
Index number: 1133
Regional Science City
Google

20 Apr 2026 6:45:05 pm
26°53'24.462"N 80°56'18.654"E
119° SE
Aliganj
Lucknow Division
Uttar Pradesh
Altitude:62.6msnm
Speed:1.4km/h
Index number: 1134
Regional Science City
Google
Barkaas Indo-Arabic

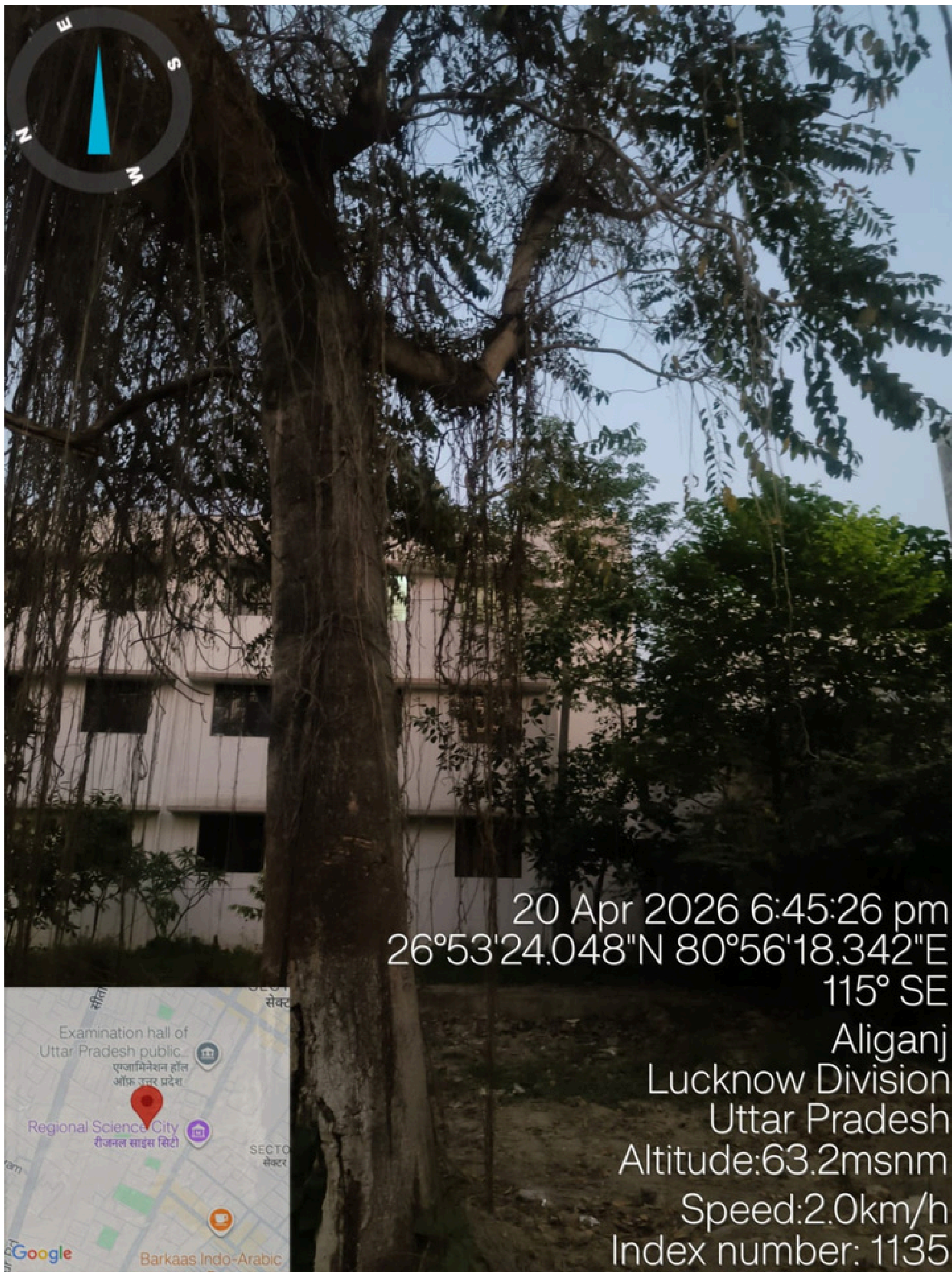
20 Apr 2026 6:45:26 pm
26°53'24.048"N 80°56'18.342"E
115° SE
Aliganj
Lucknow Division
Uttar Pradesh
Altitude:63.2msnm
Speed:2.0km/h
Index number: 1135
Examination hall of Uttar Pradesh public...
Regional Science City
Google
Barkaas Indo-Arabic

संलग्नक-04

ANNEXURE R-4

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 575 /35-1 लखनऊ, दिनांक 02-4 जुलाई 2025

सेवा में,

श्री चन्दन चौधरी,
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
मोहनलालगंज लखनऊ।

विषयः— ओ0ए0 संख्या—115/2025 (आई0ए0 नम्बर—188/2025) नितिन श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— मा0 एन0जी0टी0 में पारित आदेश दिनांक—25.03.2025 के क्रम में।

उक्त विषयक याचिका दिनांक—25.07.2025 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में सुनवाई हेतु निर्धारित है। प्रकरण की जाँच हेतु आपको नामित किया जाता है। आप शिकायत कर्ता श्री नीतिन श्रीवास्तव मो0 न0 9415552949 से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण का संयुक्त जाँच दिनांक—05.08.2025 को करते हुए जाँच आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। याचिका की प्रति संलग्नक कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि— श्री संजय मिश्रा क्षेत्रीय वनाधिकारी शहरी रेंज को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहनलालगंज को उक्त कार्यवाही में पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ

NOTARY Kartikay Kumar Singh Regd. No. 31 ... GOVT. OF INDIA

Scanned with OKEN Scanner

राजिस्टर्ड डाक

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक 576 /35-3 **लखनऊ, दिनांक** 024 **जुलाई 2025**

सेवा में,

श्री नीतिन श्रीवास्तव (प्रत्रकार)
निवासी–प्लाट संख्या–06 गाटा नम्बर–201/16
रसूलपुर कायस्थ जानकीपुरम विस्तार
टीनी टॉटस स्कूल, लखनऊ उ0प्र0
मो0 नं0 9415552949

विषयः– ओ0ए0 संख्या–115/2025 (आई0ए0 नम्बर–188/2025) नितिन श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।

अवगत है कि आप द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, डिग्री कॉलेज नियर क्षेत्रीय विज्ञान, केन्द्र अलीगंज लखनऊ में हरित पटटी में वृक्षों के कटान के सम्बन्ध में याचिका योजित की गई है। उक्त शिकायत के सम्बन्ध में दिनांक–05.08.2025 को इस प्रभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी, (श्री चन्दन चौधरी) मो0 नं0 7985654954 एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी (श्री संजय मिश्रा) मो0 नं0 8447983008 को संयुक्त जाँच हेतु नामित किया गया है। अतः आप दिनांक–05.08.2025 को समय 11:00 बजे उक्त स्थल पर सक्ष्यों /सम्बन्धित अभिलेख सहित उपस्थित होने का कष्ट करें, ताकि संयुक्त जाँच की कार्यवाही सुद्धिढ़ रुप से सुलभ हो सकें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ

पत्रांक 576/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– श्री चन्दन चौधरी उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहनलालगंज को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप, व क्षेत्रीय वनाधिकारी शहरी रेंज एवं श्री नीतिन श्रीवास्तव, पत्रकार के साथ संयुक्त जाँच हेतु आप, श्री नीतिन श्रीवास्तव पत्रकार के मो0 नं0 से सम्पर्क कर ससमय जाँच करना सुनिश्चित करें, तथा उनके द्वारा उपलब्ध सक्ष्यों/अभिलेखों सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।

प्रतिलिपि– श्री संजय मिश्रा क्षेत्रीय वनाधिकारी शहरी रेंज को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहनलालगंज को उक्त कार्यवाही में पूर्ण सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्टर्ड डाक

ANNEXURE R-5

सेवा में

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग
उ0प्र0, लखनऊ।

452
35-3
12/08/25

विषय :- आपके पत्रांक सं0 - 576/35-3 लखनऊ, दिनांक 24 जुलाई 2025 के संबंध में साक्ष्य/संबन्धित आलेख एवं वस्तुस्थिति।

श्रीमान जी,

आपका पत्रांक सं0 - 576/35 रजिस्टर्ड डॉक द्वारा 1 अगस्त 2025 को प्राप्त हुआ। जिसमें आपके द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी (श्री चंदन चौधरी) मो. 7985654954 एवं क्षेत्रिय वनाधिकारी (श्री संजय मिश्रा) मो. 8447983008 को मेरे द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिग्री कॉलेज नियर क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र अलीगंज लखनऊ में हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट) में वृक्षों के कटान एवं अवैध निर्माण के संबंध में योजित याचिका की संयुक्त जांच हेतु नामित किया गया है। आपने मुझे दिनांक 5 अगस्त 2025 को समय 11:00 बजे उक्त स्थल पर साक्ष्यों एवं संबंधित अभिलेख सहित उपस्थित होने को कहा गया है।

श्रीमान जी मैं उक्त स्थान पर समय से उपलब्ध हूं एवं मेरा प्रत्यावेदन आपको प्रेषित है।

NOTARY
Kartikay Kumar Singh
Regd. No. 31 (85)/2009

श्रीमान जी, सारे साक्ष्य और दस्तावेज याचिका में उपलब्ध हैं एवं इस पत्र के साथ भी उपलब्ध हैं, जिसकी प्रति आपको रजिस्टर्ड डॉक RU267432581IN द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2025 को प्राप्त हुई थी। उक्त साक्ष्यों में **एनेक्सचर-A** में पेड़ कटान और अवैध निर्माण की फोटो संलग्न है। जिसमें साफ दिखाई देता है कि बुलडोजर और मजदूरों द्वारा पेड़ उखाड़े जा रहे हैं एवं अवैध निर्माण किया जा रहा है।

उक्त याचिका के दस्तावेजों में **एनेक्सचर-B** में फ्री होल्ड डीड की प्रति भी उपलब्ध है। जो SP-22, सेक्टर-C अलीगंज योजना लखनऊ के पक्ष में लखनऊ विकास प्राधिकरण (L.D.A.) द्वारा निष्पादित की गई है। उक्त फ्री होल्ड डीड में चौहद्दी का विवरण है। जिसमें उत्तर दिशा को ग्रीन बेल्ट दर्शाया गया है। इसी में संलग्न नक्शा भी प्लाट SP-22 की उत्तर दिशा को हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट) दिखाता है।

दस्तावेजों और साक्ष्यों से स्पष्ट है कि SP-1 से SP-24 सेक्टर-सी अलीगंज योजना के उत्तर भाग में प्लाटों के आवंटन एवं फ्री होल्ड डीड निष्पादन में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने चौहद्दी और नक्शे में उत्तर दिशा को हरित पट्टी (Green Belt) दर्शाया है।

हरित पट्टी (Green Belt) पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं मा0 उच्चतम न्यायालय ने कई वादों में स्पष्ट आदेश दिया है कि उस पर कोई निर्माण या अवैध कटान नहीं किया जा सकता। मा0 उच्चतम न्यायालय ने वाद सं0 : Lal Bahadur V State of Uttar Pradesh (CONMT.PET.(C)NO. 494 of 2013 in C.A. no. 5607 of 2010) में स्पष्ट कहा है कि हरित पट्टी की भूमि को व्यवसायिक या आवासीय में नहीं बदला जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार द्वारा पार्क या क्रीडास्थल के भू उपयोग में बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य को **"उत्तर**

NOTARY Kartikay ... Regd. No. 31...

प्रदेश पार्क, खेल के मैदान और खुले स्थान (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 1975" में भी उल्लेखित किया गया है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिग्री कॉलेज की प्रधानाचार्य एवं कर्मचारियों ने सैकड़ो पेड़ काट दिए हैं एवं भूमि को समतल बना दिया है। जिससे पेड़ कटान के साक्ष्य उपलब्ध न हो सकें। जो पेड़ काटे गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ जिसमे शीशम, सागवान, खैर, जामुन, आम, नीम, शाल, बीजा शाल, पीपल, बनयान, गूलर, पकर, अर्जुन, पलाश, बेल, चिरौंजी, कैथा, इमली, रीठा शामिल हैं।

श्रीमान जी मेरा आपसे सविनय अनुरोध है कि आप जांच कर सुदृढ़ कार्यवाही करें, जिससे अलीगंज क्षेत्र में पर्यावरण एवं भूमि संरक्षित एवं सुरक्षित रह सके।

सधन्यवाद

भवदीय

नितिन श्रीवास्तव
पत्रकार

संलग्न :

1) **एनेक्सचर-A**
2) **एनेक्सचर-B**
3) Lal Bahadur vs State of Uttar Pradesh
4) **उत्तर प्रदेश पार्क, खेल के मैदान और खुले स्थान (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 1975**

NOTARY Kartikay Kumar Singh Regd. No. 31 (85)/2009

ANNEXURE
R-6

संलग्नक-06

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक 1260 / 35-3 लखनऊ, दिनांक 22 अगस्त, 2025।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

विषयः– ओ0ए0 संख्या–115/2025 (आई0ए0 नम्बर–188/2025) नितिन श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0, सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपकी पत्र संख्या 575/35–3 दिनांक 24–07–2025।

महादेय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में निवेदन के साथ अवगत कराना है कि दिनांक 05–08–2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री संजय मिश्रा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, शहरी रेंज, श्री अंकित शुक्ला, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, श्री योगेश कुमार, वनरक्षक के साथ नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, बालिका डिग्री कालेज का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान कोई भी अवैध पातन के साक्ष्य नहीं मिले व श्री नितिन श्रीवास्तव द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर भी अवैध पातन की पुष्टि नहीं हुई। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य नेता जी सुभाष चन्द्र बोस, बालिका डिग्री कालेज व विद्यालय के अन्य स्टाफ से भी मौखिक पूछताछ की गयी। उन सभी के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर किसी प्रकार का अवैध पातन नहीं किया गया।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(चन्दन चौधरी)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
मोहनलालगंज।

NOTARY
Kartikay Kumar Singh
Regd. No. 31(35)/2009

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी अवध वन प्रभाग, लखनऊ।

पत्रांक- 8296/ 35-3, लखनऊ, दिनांक - 20 अप्रैल, 2026।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:- मा०एन०जी०टी० में दायर ओ०ए० संख्या-115/2025 नितिन श्रीवास्तव बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक-30.01.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण नेताजी सुभाष चन्द्र बोस बालिका डिग्री कॉलेज निकट क्षेत्रीय विज्ञानं केंद्र अलीगंज लखनऊ में हरित पट्टी के वृक्षों के कटान के सम्बन्ध में याचिका योजित है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि SP-1 से SP-24 सेक्टर-सी अलीगंज योजना के उत्तर भाग में प्लाटों के आवंटन एवं फ्री होल्ड डीड निष्पादन में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने चौहद्दी और नक्शे में उत्तर दिशा को हरित पट्टी (Green Belt) दर्शाया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण हरित पट्टी के रूप में चिन्हित भूमि पर लगे वृक्षों को डिग्री कॉलेज द्वारा अवैध कटान कर निमाण कार्य किया गया है तथा लगभग 400 पेड़ काट दिए गए हैं व उसके ठूठ उखाड़ दिए गए हैं।

उक्त की स्थिति में आपसे अनुरोध है कि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा डिग्री कॉलेज के अंतर्गत ग्रीन बेल्ट का लेआउट प्लान जिसमे कितने व किस-किस प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया, विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि मा०राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को सूचित कराया जा सके।

भवदीय,
Chandan
प्रभागीय वनाधिकारी,
अवध वन प्रभाग,लखनऊ।

Pc7: \E:\Court Case\2026\April\26.doc

Scanned with OKEN Scanner